मुकदमा नम्बर 90 सन् 2015 अनवान- देवीलाल बनाम मदनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/10/17	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब मु. के बाहर .... [illegible] दि0 .... को पेश हो। [signature] 29.11.17	
29/11/17	पक्षकारान् उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र हेतु समय चाहा पूर्व में काफी समय दिया जा चुका है अतः आवश्यक रूप से जवाब पेश किया जावेगा. दिनांक 24/1/18 को पेश हो। [signature]	
24/1/18	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब मु. के बाहर .... [illegible] .... को पेश हो। 27.3.18 [signature]	
27/3/18	पक्षकारान् उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा न्यायहित में एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 19/4/18 को पेश हो [signature]	
19/4/18	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब मु. के बाहर राजस्व कैम्प जाना। [illegible] दि0 .... को पेश हो। [signature] 18.5.18	
18/5/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वादी का अधिवक्ता उपस्थित एवं निवेदन किया कि सायल रिकार्ड खातेदार काश्तकार है जिसकी खातेदारी भूमि की सीमा डोल अलग से कायम की हुई है व गैर सायलान, सायल के विपरीत पक्षकार भाई सायल की भूमि की सीमा डोल को तोड़कर सायल की भूमि पर कब्जा करना चाहते है और सायल को पाबन्द किया जावे कि सायल की खातेदारी भूमि की P.T.O	

मुकदमा नम्बर	सन्	अनवान–	बनाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी
	रकीब जोंपल को नहीं तोड़े। इसके पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में सायल बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। गैरसायल सायल का विपक्ष पड़ोसी होना जाहिर किया है तथा निवेदन किया कि वह रकीब जोंपल को तोड़कर सायल की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। किसी खातेदार की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया जाना न्यायोचित नहीं है यदि गैरसायल को किसी प्रकार का संशय अपनी भूमि की सीमा के सम्बन्ध में है तो वह भूमि की पैमाइश करवा सकता है या नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है अतः उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि की यथास्थिति वाद के निस्तारण तक बनाये रखें पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद इजलास सुनाया गया। / [illegible]	